

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष : श्री एम०के०सिंह

सदस्य

- (1) निगरानी प्रकरण क्रमांक 1515-तीन/2009- विरुद्ध आदेश दिनांक 30-7-2009 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 18/2008-09 निगरानी
- (2) निगरानी प्रकरण क्रमांक 104-तीन/2010 विरुद्ध आदेश दिनांक 30-7-2009 - पारित द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 24/2008-09 निगरानी
- (1) निगरानी प्रकरण क्रमांक 1515-तीन/2009 के पक्षकार

विष्णु सिंघल पुत्र शंभूदयाल सिंघल  
मोहल्ला पापूजी श्योपुर म०प्र०  
विरुद्ध

---आवेदक

- 1- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर श्योपुर ---असल अनावेदक
- 2- अहसान पुत्र इमामद्दीन जेल के पीछे श्योपुर
- 3- केदार पुत्र गुलाब चन्द हरदेनिया  
मेन मार्केट हरदेनिया एजेंशी श्योपुर
- 4- अशोककुमार पुत्र निधिचंद राठौर  
क्लार्क जिला कोषालय श्योपुर
- 5- जगदीश पुत्र रामप्रसाद राठौर  
नगरपालिका के पास श्योपुर ---फार्मल अनावेदकगण

(2) निगरानी प्रकरण क्रमांक 104-तीन/2010 के पक्षकार

- 1- केदार पुत्र गुलाब चन्द हरदेनिया  
मेन मार्केट हरदेनिया एजेंशी श्योपुर
- 2- अहसान पुत्र इमामद्दीन जेल के पीछे श्योपुर ---आवेदकगण  
विरुद्ध
- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर श्योपुर ---असल अनावेदक
- 1- अशोककुमार पुत्र निधिचंद राठौर  
क्लार्क जिला कोषालय श्योपुर
- 2- जगदीश पुत्र रामप्रसाद राठौर  
नगरपालिका के पास श्योपुर
- 5- विष्णु सिंघल पुत्र शंभूदयाल सिंघल  
मोहल्ला पापूजी श्योपुर म०प्र० -- फार्मल अनावेदकगण

R/12

M



निगरानी प्र0क0 1515-तीन/09के अभिभाषक  
(आवेदक के अभिभाषक श्री आशीष भदौरिया )  
(असल अनावेदक 1 के पैनल लायर श्री डी.के.शुक्ला)

निगरानी प्र0क0104-तीन/2010 के अभिभाषक  
(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अशोक भार्गव )  
(असल अनावेदक 1 के पैनल लायर श्री डी.के.शुक्ला)

आ दे श  
(आज दिनांक 20 - 1 - 2017 को पारित)

यह दो निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 24/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-7-2009 एवं प्रकरण क्रमांक 18/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-7-10 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। दोनों निगरानी प्रकरणों से संलिप्त भूमियाँ एवं पक्षकार समान होने से एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि ग्राम बगवाज जिला श्योपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 561/1 मिन रकबा 11 वीघा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का भूदान पट्टाधारी फागू पुत्र भवक था। इस पट्टाग्रहीता का पट्टा निरस्त होने के उपरांत भूदान यज्ञ बोर्ड ने अहसान पुत्र इमामद्दीन को भूमि सर्वे क्रमांक 561 रकबा 2.299 हैक्टर का पट्टा प्रदान किया। अहसान पुत्र इमामद्दीन ने भूमि विक्रय की अनुमति प्राप्त करके दिनांक 4-9-2003 को वादग्रस्त भूमि में से 2 वीघा भूमि केदार पुत्र गुलाब चन्द हरदेनिया को विक्रय कर दी। इस क्रेता का नामान्तरण होने पर भूमि का अँश भाग विष्णु सिंघल द्वारा क्रय किया गया। फागू पुत्र भवक के वारिसान ने कलेक्टर श्योपुर को आवेदन देकर





उनके पिता की भूमि अहसान पुत्र इमामद्दीन के नाम फर्जी करना बताया, जिस पर से कलेक्टर श्योपुर ने निगरानी प्रकरण क्रमांक 104-तीन/2010 के आवेदक एवं अनावेदक (शासन पक्ष को छोड़कर) के विरुद्ध स्वमेव निगरानी क्रमांक 17 ए/2006-07 पंजीबद्ध की एवं आदेश दिनांक 3-11-2006 पारित करके वादग्रस्त भूमि फर्जी तरीके से खसरो में प्रविष्टि करना मानकर शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश से दुखी होकर यह दो निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा दोनों निगरानी प्रकरणों में आये तथ्यों का तथा अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने तथा उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन उपरांत कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनांक 3-11-06 तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के आदेश दिनांक 30-7-10 के तथ्यों पर विचार करने पर यह स्थिति है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेशों में यह माना है कि वादग्रस्त भूमि पर सर्वप्रथम अहसान पुत्र इमामद्दीन के नाम की फर्जी प्रविष्टि हुई एवं उसके द्वारा बिना अधिकार भूमि विक्रय करने पर क्रेतागण के नाम की प्रविष्टि हुई है। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि यह सही है कि वादग्रस्त भूमि का भूदान पट्टाग्रहीता फागू पुत्र भवक था किन्तु अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/1987-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-10-89 से फागू पुत्र भवक का पट्टा निरस्त किया जाकर भूमि शासकीय दर्ज करा दी गई थी। भूमि शासकीय होने के बाद अहसान पुत्र इमामद्दीन की माँग पर भूदान





यज्ञ बोर्ड ने पट्टा क्रमांक 6458 स्वीकृति दिनांक 8-9-92 वितरण दिनांक 23-8-92 से भूमि सर्वे क्रमांक 561 स्वत्व 2.299 हैक्टर का पट्टा प्रदान किया है इस प्रकार अहसान पुत्र इमामद्दीन वादग्रस्त भूमि का पट्टाग्रहीता है, जिसके कारण कलेक्टर श्योपुर द्वारा फागू पुत्र भवक के नाम की भूमि होना मानकर निगरानी प्रकरण क्रमांक 104-तीन/2010 के आवेदक एवं अनावेदक (शासन पक्ष को छोड़कर) के विरुद्ध स्वमेव निगरानी क्रमांक 17 ए/2006-07 दर्ज करने में त्रुटि की है और इस तथ्य की ओर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग ने आदेश दि. 30-7-2009 पारित करते समय ध्यान न देने की भूल की है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश दोषपूर्ण है।

5/ प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ कि पट्टाधारी अहसान पुत्र इमामद्दीन ने जरूरत होने पर वादग्रस्त भूमि में से 2 बीघा भूमि विक्रय की अनुमति आवेदन कलेक्टर श्योपुर को दिया है जिस पर से कलेक्टर श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 5/2002-03 अ-21 पंजीबद्ध करके तहसीलदार श्योपुर से जाँच प्रतिवेदन माँगा है। तहसीलदार श्योपुर ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एवं अहसान पुत्र इमामद्दीन के स्वत्व के सम्बन्ध में जाँचकर दिनांक 20-4-2002 को प्रतिवेदन देते हुये भूमि विक्रय की अनुमति देने की अनुसँशा की है जिस पर से कलेक्टर श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 5/2002-03 अ-21 में पारित आदेश दिनांक 9-6-1993 से विक्रय अनुमति प्रदान की है तथा सक्षम अनुमति उपरांत वादग्रस्त भूमि को केदार पुत्र गुलाब चन्द हरदेनिया ने क्रय करते हुये विक्रय पत्र संपादित कराया है और विक्रय पत्र के आधार पर इस केता का नामांतरण हुआ है। इसी प्रकार निगरानी प्र.क.1515-तीन/09






के आवेदक विष्णु सिंघल ने पंजीकृत विक्रय पत्र से अंश भूमि केदार पुत्र गुलाबचंद से कय की है। विचार योग्य है कि क्या विक्रय पत्र के आधार पर कय की गई भूमि को कलेक्टर स्वमेव निगरानी लेकर में शासकीय घोषित कर सकते हैं ? विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने की शक्तियाँ राजस्व न्यायालय को नहीं है। शोतिवाई विरुद्ध जसरथ धोबी 2005 रा०नि० 45 एवं 1993(2) M.P.W.N. 174 सुप्रीम कोर्ट का न्याय दृष्टांत हैं कि राजस्व न्यायालय रजिस्ट्री विक्रीनामा को संदिग्ध मानकर केता के पक्ष में नामांतरण करने से अस्वीकार करने का अधिकार नहीं रखते हैं। इस प्रकार कलेक्टर श्योपुर का आदेश दिनांक 3-11-2008 वास्तविकता के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है एवं अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना ने आदेश दिनांक 30-7-09 पारित करते समय उक्त तथ्यों की अनदेखी की है जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर दोनों निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 24/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-7-2009 एवं प्रकरण क्रमांक 18/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-7-10 तथा कलेक्टर श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 17 ए/2006-07 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-11-2008 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा वादग्रसत भूमि कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनांक 3-11-2008 के पूर्व की स्थिति में पक्षकारों के नाम यथावत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।



  
(एम०के०सिंह)  
सदस्य

राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर